

**EAST CENTRAL RAILWAY**  
**YELLOW BULLETIN OF OPERATING SAFETY**  
**(AUGUST-2022, ISSUE NO. 50)**

**Irregularities/Deficiencies detected during inspections.**

1.	On 04.08 22, traffic block at BHKR station of SEE division was given on line no. 2 from 10:40 hrs to 12:10 hrs and from 12:35 hrs to 14:05 hrs. Station Master BHKR took "OFF" the home signal at 13:28 Hrs for running train no. 15910 through from line No.2 without cancellation of block. Due to this the aforesaid train entered in the blocked line no.2 at 13:40 hrs and controlled 500m before the obstruction and was delayed till 14:05 Hrs.
2.	LC gate no. 47 B-1 (BGS-LAK) is still operational after commissioning of ROB in year 2018.
3.	SSBPAC between BGS-LAK installed on 19.08.22 but correction slip of SWR in this regard has not been issued.
4.	Fire alarm system of BGS/SEE is out of order for more than one year.
5.	Shunting neck was constructed at both ends of THB station in SEE division in the year 2008 but it is not operational since then because track is not given fit by Engg.
6.	SM Rest room has not been provided at stations like IMGE & GRRU of DDU division, HIL/DNR division and SMO /SEE division but as per Railway Board's letter no. 2014/TT/76/staff dated 09.10.2017 one rest room is required with toilet facility at each road side stations. Board's instructions should be implemented in all Divisions at places where such facility is not available as yet.
7.	There is no pathway provided for cabins at KSTA & DDU stations in DDU division.
8.	Walkie-Talkie set supplied to Guard of DN/UCPD goods train was working but it was not possible to contact ALP/LP, though it was possible to contact with SM at Station.
9.	At BKG/DNR division, Signal failure memo was issued on 17/08/22 for failure of UP A/C but it was not received by S&T and no remark was found in Signal failure register SI-24 in this regard. Due to this failure train no. 12303 was detained and T/369 (3b) was issued.
10.	At BKG/DNR division, cutting of Private No. in Private No. book was not proper. Purpose and to whom the Private No. was given found not being recorded by SMs.
11.	As per Gradation Register of BKHR/SEE division, marks are given to each individual but the same is not signed by concerned official. No Gradation of SS or TI is being done by AOMs. Even counter signature of Gradation by officers concerned is not being done.
12.	Assurance register, Appendix "G" of SWR and Red/ Yellow Bulletins could not be produced at KOO station of DNR division during Inspection.
13.	On 04.08.22, line clear of train number 15653 Up at BCA Junction of SEE Division was given by Station Master Out Door at 5:13 Hrs. This train was supposed to go towards STJT station, but Station Master BCA taken 'OFF' the Home Signal at 5:18 Hrs for Line No. 8 which is connected to VPDA station only. The Loco Pilot of 15653 up observed the Distant signal in Alert position (One Yellow) & Home Signal with Route indicator but could not stop the train short of Home Signal despite clear visibility of Home Signal and DRI. Train was controlled only after passing Home Signal/ entering in Line no.8 without clearing Fouling Mark and then it was shunted back for sending towards STJT.




14.	During inspection of MNE station on 06.08.22, it was found that line number 7 was showing occupied on the panel due to Track Circuit failure but its entry was not there in the Signal failure register. On duty SM reported that failure is continuing from July 2021. Such longer duration failure is not safe for train operation.
15.	During inspection, no use of Stop Collar on the concerned lines were found on the panel for Goods trains which were found to be placed 5 hours and 2 hours earlier respectively on line number 2 and 3 of MNE station.
16.	No entry was found in the Stabling Register at NRPA station of SEE division from 18.06.22 and onwards till 06.08.22 where as the detail of entries in TSR was contrary to the same.
17.	At LC No. 86 B/T at DLN/DNR division, between the two barriers, shops are operated, which create hindrance in safe train operation.

**SPECIAL ATTENTION TO BE PAID:-**

1. Be sure to use stop plug, safety collar, slide/lever collar etc when any block is allowed.
2. Ensure that Points are set against the Line on which the block is given at the station and concerned signal is made inoperative temporarily vide GR/SR 15.06 if required.
3. If a traffic block or power block is given at the station, the line obstructed board or Power block board should be used on the concerned device /block instruments.
4. Make sure to enter in the station diary and TSR in regarding block in Red Ink.
5. The Station Master should be aware of the rules in respect of traffic blocks mentioned in Chapter 15 of the GR & SR and in respect of Power Blocks in Chapter 17 of the GR & SR .
6. All the Station Masters should take special care while working on the panel and see that aspect of Signal when taken Off, corresponds with the desired route.

Divisions are advised to ensure immediate circulation (in yellow color printout) to All Concerned for information / initiating action and compliance report of the above irregularities/ anomalies/Special Attention be sent to this office for onward action.

  
 12 09 22  
 (B. K. Das)  
 COM/G/ECR

No.ECR/ OPTG. Safety/Yellow Bulletin/87/505.

Hajipur, Dated-12.09.22

Distribution:- PCOM & PCSO for kind information please.  
 DRM- DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ. for information please.  
 Sr.DOM -DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ for information & necessary action please.  
 Principal, ZRTI MFP & BHULI for information please.



पूर्व मध्य रेल  
परिचालन संरक्षा का येलो बुलेटिन  
(अगस्त - 2022 अंक संख्या -50)

मुख्यालय द्वारा किये गए निरीक्षणों के दौरान पाए गए कमियाँ/अनियमितताओं को समाहित करते हुए.

1.	दिनांक 04.08.22 को सोनपुर मंडल के बखरी स्टेशन पर लाइन नंबर 2 पर 10:40 बजे से 12:10 बजे तक तथा 12:35 बजे से 14:05 बजे तक ट्रैफिक ब्लॉक दिया गया था। स्टेशन मास्टर बखरी ने ब्लॉक कैंसिल किए बिना ही गाड़ी संख्या 15910 को लाइन संख्या 2 से रन शुरू करने के लिए होम सिग्नल 13:28 बजे ऑफ कर दिया। जिसके कारण उक्त गाड़ी ब्लॉक दिए गए लाइन नंबर 2 में 13:40 बजे प्रवेश कर गई और अवरोध स्थल से 500 मीटर पहले खड़ी हो गई तथा 14:05 बजे तक विलंबित रही।
2.	वर्ष 2018 में आरओबी(ROB) चालू हो जाने के बावजूद बेगूसराय-लाखो स्टेशन के बीच समपार फाटक संख्या 47 /B-1 अभी तक चालू है।
3.	बेगूसराय स्टेशन पर बेगूसराय-लाखो स्टेशन के लिए ब्लॉक यन्त्र SSBPAC दिनांक 19.08.22 से कार्यरत है, परन्तु स्टेशन संचालन नियम में इससे संबंधित संशोधन पर्वी जारी नहीं किया गया है।
4.	सोनपुर मंडल के बेगूसराय स्टेशन पर फायर अलार्म सिस्टम पिछले एक वर्ष से अधिक समय से खराब है।
5.	सोनपुर मंडल के थाना बिहपुर स्टेशन पर, वर्ष 2008 से ही दोनों तरफ शंटिंग नेक निर्मित है, परन्तु इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ट्रैक फिट नहीं दिए जाने के कारण यह परिचालन के लिए उपयोगी नहीं है।
6.	इस्माइलपुर और गुरारू स्टेशन ( पं दीनदयाल उपाध्याय मंडल), हिलसा/ दानापुर मंडल और सेमापुर/सोनपुर मंडल स्टेशनों पर स्टे.मा. विश्राम कक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है, जबकि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2014/टीटी/76/स्टाफ दिनांक 09.10.2017 के अनुसार प्रत्येक स्टेशन पर शौचालय के साथ एक विश्राम कक्ष उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सभी मंडलों में बोर्ड के निर्देश, उन स्थानों पर जहाँ इस तरह की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है, लागू होना चाहिए।
7.	पं दीनदयाल उपाध्याय मंडल में काष्ठा और डीडियू स्टेशन पर पैनल केबिन आने जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।
8.	डाउन /यू.सी.पी.डी मालगाड़ी के गार्ड को वाकी-टॉकी सेट उपलब्ध कराया गया था, परन्तु उससे उस गाड़ी के लोपा/सलोपा से संपर्क करना संभव नहीं था, हालांकि उसी वाकी-टॉकी सेट से स्टेशन मास्टर से संपर्क हो रहा था।
9.	बंका घाट/दानापुर स्टेशन पर, दिनांक 17/08/22 को अप एक्सल काउन्टर की विफलता के लिए सिग्नल विफलता मेमो जारी किया गया था लेकिन यह एस. एंड टी. विभाग के कर्मचारियों द्वारा रिसीव नहीं किया गया था और इस संबंध में सिग्नल विफलता रजिस्टर एसआई-24 में कोई रिमार्क नहीं था। इस खराबी के कारण गाड़ी संख्या 12303 विलम्बित हुई और टी/369 (3 बी) जारी किया गया।
10.	बंका घाट/दानापुर स्टेशन पर प्राइवेट नं.पुस्तिका में उचित तरीके (तिरछे लकीर) से नहीं काटा गया था। स्टेशन मास्टर के द्वारा, प्राइवेट नं. किस उद्देश्य से और किसको दिया गया, रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा था।
11.	बखरी/सोनपुर स्टेशन के गेडेशन रजिस्टर के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी को अंक दिए जाते हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी द्वारा उस पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं। ए.ओ.एम. द्वारा स्टेशन अधीक्षक या टी.आई. का कोई गेडेशन नहीं किया गया था। संबंधित अधिकारियों द्वारा गेडेशन रजिस्टर में प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया गया था।
12.	खुसरूपुर स्टेशन (दानापुर मंडल) पर निरीक्षण के दौरान आश्वासन रजिस्टर, स्टेशन संचालन नियम के परिशिष्ट "G", रेड और येलो बुलेटिन प्रस्तुत नहीं किया गया।
13.	सोनपुर मंडल के बछवारा जंक्शन पर दिनांक 04. 08.22 को गाड़ी संख्या 15653 अप का लाइन क्लियर स्टेशन मास्टर (आउट डोर) के द्वारा 5:13 बजे दिया गया। इस गाड़ी को साठा जगत स्टेशन की ओर जाना था, परन्तु स्टेशन मास्टर/बछवारा जंक्शन ने 5:18 बजे लाइन नंबर 8 के लिए, जो केवल विद्यापति धाम के लिए जुड़ा है, होम सिग्नल ऑफ कर दिया। लोको पायलट को डिस्टेंट सिग्नल का संकेत सतर्क (एक पीला) तथा होम सिग्नल का संकेत मार्ग संकेतक (रुट) के साथ पीला मिला परन्तु लोको पायलट ने मार्ग संकेतक के साथ होम सिग्नल के स्पष्ट दृश्यता के बावजूद होम सिग्नल पर




	गाड़ी को नहीं रोक सका। गाड़ी को होम सिगनल पार करने के बाद/ फाउलिंग मार्क साफ़ किये बिना लाइन नं. 8 में खड़ा किया गया तथा इसके बाद साठा जगत स्टेशन की ओर भेजने के लिए शंटिंग किया गया।
14.	दिनांक 06.08.22 को मानसी स्टेशन के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि लाइन नंबर 7 ट्रैक सर्किट विफलता के कारण पैनल पर रेड दिखाई दे रहा था लेकिन इसका इंट्री सिगनल विफलता रजिस्टर में नहीं किया गया था। ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर ने बताया कि यह विफलता जुलाई 2021 से अभी तक है इस तरह की लम्बी विफलता गाड़ी परिचालन के लिए संरक्षित नहीं है।
15..	निरीक्षण के दौरान मानसी स्टेशन के लाइन नंबर 2 और 3 पर क्रमशः 5 घंटे और 2 घंटे पहले से माल गाड़ियाँ खड़ी पाई गईं लेकिन पैनल पर संबंधित लाइन पर स्टॉप कॉलर का उपयोग नहीं पाया गया।
16..	सोनपुर मंडल के नारायणपुर स्टेशन पर स्टेबलिंग रजिस्टर में दिनांक 18.06.22 से 06.08.22 तक कोई भी इंट्री नहीं पाई गई जो कि टीएसआर में किये गये इन्ट्री का विरोधाभास है।
17..	दिलदारनगर/ दानापुर मंडल में समपार फाटक सं. 86 B/T के दोनों बैरियर के बीच दुकाने लगी हैं, जो गाड़ियों के संरक्षित परिचालन में बाधा उत्पन्न करता है।

विशेष रूप से ध्यान दें :

1. कोई भी ब्लॉक दिए जाने पर स्टॉप प्लग, सेफ्टी कॉलर, स्लाइड / लीवर कॉलर इत्यादि का प्रयोग करना सुनिश्चित करें।
2. सुनिश्चित करें कि स्टेशन पर जिस लाइन पर ब्लॉक दिया गया है उसके विरुद्ध कांटे (Points) सेट हो तथा यदि आवश्यक हो तो सामान्य एवं सहायक नियम 15.06 के अनुसार संबंधित सिगनल को अस्थायी रूप से विच्छेद कर देना चाहिए।
3. यदि स्टेशन पर ट्रैफिक ब्लॉक या पॉवर ब्लॉक दिया जाता है तो सम्बंधित उपकरण/ब्लॉक यन्त्र पर लाइन बाधित बोर्ड या पॉवर ब्लॉक बोर्ड का प्रयोग किया जाना चाहिए।
4. स्टेशन डायरी एवं टीएसआर में लाल स्याही से ब्लॉक के सम्बन्ध में इंदराज सुनिश्चित करें।
5. स्टेशन मास्टर को, सामान्य एवं सहायक नियम के अध्याय 15 में वर्णित ट्रैफिक ब्लॉक से संबंधित एवं अध्याय 17 में वर्णित पॉवर ब्लॉक से संबंधित नियमों से, अवगत होना चाहिए।
6. पैनल पर कार्य करने के दौरान सभी स्टेशन मास्टर को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि सिगनल को ऑफ करने पर सिगनल का संकेत संबंधित स्ट के लिए प्रदर्शित हो रहा है।

सभी मंडलों को सलाह दी जाती है कि सर्व संबंधितों को तत्काल पीले रंग में वितरित कर कार्यवाही सुनिश्चित करें और उपरोक्त अनियमितताओं /विसंगतियों /विशेष ध्यान के अनुपालन का रिपोर्ट इस कार्यालय को आगे की कार्यवाही हेतु सूचित करें।

  
120922  
(बी के दास)

मुख्य परिचालन प्रबंधक(सा)/ हाजीपुर

दिनांक 12.09.22

सं. ई.सी.आर. /परि.सं./ येलो बुलेटिन/ 87 /505,

वितरण:

1. प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ।
2. मंडल रेल प्रबंधक डी.डी.यू. दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
3. वरि.मं.परि.प्रबंधक डी.डी.यू. दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
4. प्राचार्य, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर और भूली को सूचनार्थ।